"साधारण पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विस्तार तथा लागू होना :—** (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में नियमित वेतन पर निरन्तर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, एआईआर 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

(ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

(घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,

(ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

3. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 3 (ज) के अन्तर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

(ख) "आयुष" से अभिप्रेत है आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है नियम 2 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत यथा परिभाषित व्यक्ति;

(घ) "परिवार" से अभिप्रेत है:—

(एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति,

(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान सौतेली संतान अथवा सौतेले अवयस्क भाई भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं,

(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियां कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;

(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो;

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणापत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता–पिता उस पर ही पूर्णतः आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

(पांच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेन्शनर माता–पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(ङ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "चिकित्सालय" से अभिप्रेत है–

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अन्तर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(छ) "चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय" से अभिप्रेत हैं शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

(ज) "चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, सिविल सर्जन, चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी या आयुष सहायक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालयों के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी (कैजुअल्टी मेडिकल ऑफीसर) और इसमें चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय के अध्यापक

संवर्ग के ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हैं, जो ऐसे महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालयों में रोगियों का उपचार करते हों;

(झ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ञ) "विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा)" से अभिप्रेत है अनुसूची–एक, जिसमें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा, में उल्लिखित रोगों का उपचार (चिकित्सा) और/या शल्य चिकित्सा (सर्जरी);

(ट) "उपचार (चिकित्सा)" से अभिप्रेत है चिकित्सालय, जहां कर्मचारी का उपचार किया जा रहा हो, में उपलब्ध तथा प्रयुक्त समस्त चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा, सुविधायें और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(एक) रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टीरियोलॉजिकल), एक्स–रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग या ऐसे किसी अन्य निदान का उपयोग जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/परिचारक द्वारा आवश्यक समझा जाये;

(दो) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीन), सिरम तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति, जो सामान्यतः चिकित्सालय में उपलब्ध हों;

(तीन) ऐसा उपचार (चिकित्सा) जो सामान्यतः चिकित्सालय द्वारा अन्तः–रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है;

(चार) रुधिराधान (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन);

(पांच) परानील–लोहित प्रकाश (अल्ट्रा–वॉयलेट लाईट);

(छः) सामान्य उपचर्या (जनरल नर्सिंग);

(सात) डॉयलिसिस एवं हीमोडॉयलिसिस;

(आठ) लिथोट्रिप्सी;

(नौ) महिलाओं के मामलों में–

(क) प्रसूति के दौरान उपचार, प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार;

(ख) डूश देना (डूशिंग);

(दस) पंचकर्म एवं क्षार सूत्र उपचार;

(ग्यारह) ऐसी अन्य सुविधाएं जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें।

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा उपचार.– कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा उपचार/सेवा के लिये हकदार होगा।

मानसिक रोगी का उपचार.– मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये निःशुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

6 **उपचार एवं प्रतिपूर्ति.–** (1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार, निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास–मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमतः, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अन्तर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊंटरसाईन) अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

7 **प्रतिपूर्ति की सीमा.–** शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगाः–

(1) ब्राह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत सम्पूर्ण व्यय, किन्तु–

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अन्तर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए–

स. क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1	1,500/–	नियंत्रण अधिकारी।	3 माह के अन्तर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2	1,501/– से 5,000/– तक	जिलों के लिये– यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये– अधीक्षक/उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।	
3	5,001/– से 25,000/– तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ /जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ।	
4	25,001/– से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंतः–रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7 (1) (दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्रारूप में यह प्रमाणपत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप— ऐसे प्रमाणपत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय–समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक–एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) ऑक्सीजन देने में उपगत सम्पूर्ण व्यय;

(5) रूधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;

(6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल है, उपचार करवाने में उपगत सम्पूर्ण व्यय;

(7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला सम्पूर्ण व्यय;

(8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहां वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहां वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में सम्पूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;

(9) शल्य चिकित्सा तथा रोग संबंधी (पैथालॉजिकल), जीवाणु संबंधी (बैक्टेरियोलॉजिकल), एक्स–रे संबंधी निदान एवं उपचार, रेडियो इमेजिंग तथा

अन्य जांच/परीक्षण, जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक समझा गया हो और तदनुसार प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, पर उपगत सम्पूर्ण व्यय;

(10) शासकीय सेवकों द्वारा एम्बुलेंस अथवा किसी अन्य वाहन के उपयोग के संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी;

(11) आवश्यक उपकरण जैसे कैलिपर, कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पट्टियां, गर्दन की कॉलर, श्रवण उपकरण आदि का व्यय पहली बार शासन द्वारा वहन किया जायेगा;

(12) पंचकर्म तथा क्षार सूत्र उपचार पर उपगत सम्पूर्ण व्यय।

8. **उपचार की दर.**– निजी चिकित्सालय में अंतः–रोगी के रूप में कराये गये निदान एवं उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति, केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली द्वारा बी–1 श्रेणी के शहर हेतु समय–समय पर निर्धारित दरों अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक की जायेगी। जहां सुविधाओं की दरें केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निर्धारित नहीं की गई हों, तो ऐसी दशा में राज्य शासन, दरें निर्धारित कर सकेगा।

9. **चिकित्सा अग्रिम.**– (1) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु, इन नियमों के नियम 8 एवं नियम 9 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत, यथास्थिति, जिला सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए, कर्मचारी द्वारा संबंधित चिकित्सालय से प्राप्त व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) चिकित्सा अग्रिम केवल उन्ही मामलों में स्वीकृत किया जायेगा, जहां रोगी का उपचार, राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अंतः–रोगी के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो तथा प्रकरण में रिफरल प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

(3) प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में रूपये 30,000/– अथवा इससे अधिक और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में रूपये 15,000/– अथवा इससे अधिक के अनुमानित चिकित्सा व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।

(4) स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जायेगा।

(5) चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन, अग्रिम प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कराया जाना होगा, अन्यथा कर्मचारी के वेतन से देयक (बकाये) की वसूली का दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(6) चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा कर्मचारी के आय के अन्य स्त्रोत से वसूल की जायेगी।

(7) अग्रिम राशि का आहरण, वास्तविक आवश्यकता के 15 दिवस पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

(8) यह प्रत्यायोजन विदेशों में कराई गई चिकित्सा (उपचार) पर लागू नहीं होगी।

6. **जांच (परीक्षण)/उपचार हेतु रिफरल.–** (1) कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के रोगों की जांच/उपचार सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय/आयुष औषधालय, जिला आयुष चिकित्सालय में कराना होगा।

(2) उक्त केन्द्रों में वांछित सुविधाएं उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में रिफर कर सकेंगे।

(3) चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में संबंधित रोगों की जांच उपचार/विषय विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने पर, यथास्थिति,

संयुक्त–संचालक–सह–अधीक्षक/उप संचालक, शासकीय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थाओं में रिफर कर सकेंगे।

(4) स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएं तथा पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) नीति के अंतर्गत संचालित संस्थाएं, शासकीय सेवकों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी, उक्त संस्थाओं में उपचार हेतु रिफरल की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालय भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय समझे जायेंगे।

(6) केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाएं ही फालो–अप उपचार हेतु मान्य होंगी, इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार, सक्षम स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी।

(7) आकस्मिक परिस्थितियों की दशा में, आवेदक/परिवार के सदस्य के द्वारा, उपचार प्रारंभ करने से 48 घण्टे की समय–सीमा के भीतर यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

कार्योत्तर स्वीकृति.– (1) आकस्मिक परिस्थितियों में, राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के प्रकरण में, कार्योत्तर स्वीकृति अभिप्राप्त करनी होगी। कार्योत्तर स्वीकृति के अभाव में, ऐसे प्रकरणों में उपचार में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण, कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षण करने के उपरांत, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को भेजे जायेंगे, जिनका निराकरण गुण/दोष के आधार पर करते हुए, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) राज्य के भीतर/राज्य के बाहर गैर मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरण, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष की अनुशंसा से राज्य शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निराकरण के लिये भेजे जायेंगे।

(4) संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष, कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित कर सकेंगे।

(5) राज्य शासन स्तर पर कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नलिखित समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	– अध्यक्ष
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा	– सदस्य
3. संचालक, आयुष	– सदस्य
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	– सदस्य
5. वित्त विभाग का प्रतिनिधि (जो उप सचिव की श्रेणी से निम्न का अधिकारी न हो)	– सदस्य
6. दो, विषय विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	– सदस्य

12. **जांच (परीक्षण)/उपचार हेतु निजी संस्थाओं को मान्यता.–** (1) राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थायें, कर्मचारियों के रोगों की जांच/उपचार के लिये अपनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान कराने हेतु, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा विहित शुल्क के साथ विहित प्ररूप में, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष को आवेदन कर सकेंगे।

(2) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन (आवेदनों) की सम्यक् जांच (छानबीन) के पश्चात्, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा गठित एक समिति द्वारा उनका निरीक्षण किया जायेगा।

(3) राज्य शासन, यथास्थिति, संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक आयुष के द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर, राज्य के भीतर/राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उच्च कोटि के उपचार की सुविधा की उपलब्धता पर विचार करते हुए विशिष्ट
रोग (रोगों) के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा 14.
संस्थायें या ख्याति प्राप्त निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सकेगा। ऐसी समिति की अनुशंसा उपरान्त राज्य शासन ऐसी संस्थाओं को मान्यता प्रदान
कर सकेगा। 15.

13. **चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दावा.**– (1) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, प्ररुप–एक में, व्यय किये जाने की तारीख के छः माह की अवधि के भीतर नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा:

परंतु जहां कर्मचारी स्वयं ही नियंत्रण प्राधिकारी हो, वहां छः माह की कालावधि की गणना कोषाधिकारी को मांग प्रस्तुत किये जाने की तारीख के संदर्भ में की जायेगी।

(2) इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररुप–दो में आवश्यक प्रमाणपत्र तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किये गये नगद पत्रक (कैश मेमो) रसीदें, जो उपचार और कमरे के किराये के व्यय के भुगतानों से संबंधित है, प्रस्तुत किये जायेंगे:

परंतु जहां प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियाँ, मेडिकल स्टोर्स डिपो की दर सूची से बाहर की हों, वहां ऐसे मामलों में, जहां वह स्वयं प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक न हो, आवश्यक प्रमाणपत्र पर यथास्थिति, सिविल सर्जन/जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे:

परंतु यह और कि चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार कराये जाने पर, उसमें चिकित्सालय के नियंत्रक अधिकारी, संयुक्त संचालक–सह अधीक्षक/उप संचालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

14. **उपचार का अभिलेख.**–प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में डॉयरी तथा ज्ञापन (मेमों) में, उसके द्वारा किये गये उपचार या जांच की तारीख और स्थान के ब्यौरे रखेगा, जो उसके द्वारा प्ररुप–दो में दिये गये प्रमाणपत्र के आधार पर होगा।

15. **दावों का निपटारा.**– (1) इन नियमों के अधीन, कर्मचारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की मांग का निराकरण, संबंधित आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा किया जायेगा।

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, जो संबंधित कर्मचारी के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए सक्षम है, के द्वारा ऐसे देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। नियंत्रण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह चिकित्सा व्यय से संबंधित मांगों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व, उसका इस प्रकार सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लें कि मांग वास्तविक है और नियमों के अनुसार है और दावा किये गये व्ययों के समर्थन में आवश्यक नगदी पत्रक (कैश मेमो), रसीदें, प्रमाणपत्र आदि संलग्न किये गये हैं। नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे दावों को अस्वीकृत कर सकेगा, जो नियमों के अनुसार न हो।

(3) उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में देय राशि का आहरण, प्ररुप–सी.जी.टी.सी. 24–ए पर किया जायेगा तथा आवेदक/दावाकर्ता को भुगतान योग्य होगा।

(4) चिकित्सा सेवा तथा उपचार से संबंधित व्यय, संबंधित प्रधान शीर्ष के अन्तर्गत उद्देश्य शीर्ष 01 "वेतन तथा भत्ते आदि" के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 015 "चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में" विकलनीय होगा, किन्तु कार्यभारित स्थापना के सदस्यों के मामले में, वह व्यय सीधे संबंधित कार्य के हिसाब से विकलनीय होगा।

16 **कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के उपचार की सीमा.–** (1) ये नियम कर्मचारी के परिवार के सदस्यों पर उसी रीति/प्रकिया से और उसी सीमा तक लागू होंगे, जिस रीति/प्रकिया से और विहित सीमा तक वे कर्मचारी पर लागू होते हैं:

परंतु जहां किसी कर्मचारी के तीन या अधिक जीवित बच्चे हों, वहां तीसरा बच्चा तथा अतिरिक्त बच्चा इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु ऐसे तीसरे बच्चे के 26 जनवरी, 2001 के पूर्व पैदा होने पर, वह भी इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा :

परन्तु यह और कि दूसरी प्रसूति की दशा में जुड़वा बच्चे पैदा होने पर, दोनों बच्चें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(2) कर्मचारी, प्रसूति के दौरान उपचार, (जिसमें प्रसव–पूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार भी शामिल हैं), के लिए उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भी हकदार होगा:

परंतु यदि ऐसे प्रसव की तारीख पर तीन या अधिक बच्चे जीवित हों, तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

17 **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई पृच्छा/प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

18.

19.

20.

18. **शिथिलीकरण.**— सामान्यतः इन नियमों का शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा, किन्तु आपवादिक प्रकरणों में राज्य शासन को नियमों को शिथिल करने का अधिकार होगा।

19. **नियमों में संशोधन करने की शक्ति.**— राज्य सरकार समय–समय पर नियमों को संशोधित/उपांतरित कर सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

20. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के प्रभावशील होने पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 निरसित माने जाएंगे:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी कार्य या की गई कार्यवाही पर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अधीन जारी स्पष्टीकरण/निर्देश/दिशा–निर्देश, इन नियमों में उसी सीमा तक लागू रहेंगे कि वे इन नियमों से असंगत न हों या वे इन नियमों के प्रतिकूल न हों:

परंतु यह और कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पूर्व संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त मांगें, संबंधित कर्मचारियों पर लागू होने वाले पूर्व के नियमों द्वारा शासित होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 3(ञ) देखिए)

सभी प्रकार की कैंसर व्याधियाँ,

सभी प्रकार के हृदय रोगों (ओपन हार्ट सर्जरी/बाईपास सर्जरी, एन्जियोप्लास्टी विथ स्टेंट, एन्जियोप्लास्टी विदाऊट स्टेंट, इत्यादि),

ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,

जटिल ऑप्थेलमिक सर्जरी,

न्यूरो–सर्जरी,

ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी,

ऐसे उपचार तथा/या सर्जरी, जो राज्य के शासकीय या मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, तथा जिसके लिये रोगी को राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में भेजा (रिफर किया) जाता है।

प्ररूप–एक
चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररुप
(नियम 13(1) देखिये)
(टीप–प्रत्येक रोगी के लिये पृथक प्ररुप का उपयोग किया जाये)

शासकीय सेवक का नाम तथा पदनाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

कार्यालय जिसमें नियोजित हो ....

इन नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार शासकीय सेवक का वेतन तथा कोई अन्य उपलब्धियां, जो पृथक रुप से दर्शाई जानी चाहिये ....

कर्तव्य का स्थान ....

वास्तविक निवास स्थान का पता ....

रोगी का नाम तथा शासकीय सेवक से उनका संबंध (बच्चों के मामले में, निम्नलिखित जानकारी भी दी जाये, अर्थात्:–

(क) जन्म की तारीख ....

(ख) जन्म की क्रम संख्या ....

(ग) बच्चों की कुल संख्या ....

स्थान जहां रोगी बीमार हुआ ....

बीमारी का स्वरुप तथा उसकी अवधि ....

मांग (दावा) की गई राशि के ब्यौरे :–

I चिकित्सा परिचर्या:–

(एक) निम्नलिखित को दर्शाते हुए परामर्श फीस:–

(क) जिस चिकित्सा अधिकारी से परामर्श किया गया हो, उसका नाम तथा पदनाम और उस चिकित्सालय या औषधालय का नाम जिससे वह संलग्न हो ....

(ख) कब और कितनी बार परामर्श लिया गया तथा प्रत्येक परामर्श के लिये दी गई फीस ....

(ग) क्या परामर्श, चिकित्सालय में, चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष में या रोगी के निवास स्थान पर लिया गया ....

(दो) निम्नलिखित दर्शित करते हुए रोग निदान के दौरान रोग संबंधी, जीवाणु संबंधी, एक्सरे संबंधी (रेडियोलॉजिकल) या ऐसी अन्य समतुल्य परीक्षण (जांच) संबंधी व्यय:–

(क) उस चिकित्सालय या प्रयोगशाला का नाम, जहां परीक्षण (जांच) की गई, और ....

(ख) क्या परीक्षण (जांच) प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह से की गई थी और यदि हां, तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये ....

(तीन) बाजार से खरीदी गई औषधियों की कीमत ....
(औषधियों की सूची, नकदी पत्रक (कैश मेमो), और आवश्यकता प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए)

(II) चिकित्सालयीन उपचार:- ....
निम्नलिखित के खर्च पृथक् रुप से दर्शाते हुए चिकित्सालयीन उपचार संबंधी खर्च–

(एक) स्थान (इसका उल्लेख कीजिये कि क्या वह शासकीय सेवक की प्रास्थिति या वेतन के अनुसार था और उन मामलों में जहां स्थान शासकीय सेवक की प्रास्थिति से उच्चतर का है, तो इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि वह स्थान, जिसके लिए वह हकदार था, उपलब्ध नहीं था) ....

(दो) खुराक ....

(तीन) शल्य चिकित्सा या चिकित्सा उपचार ....

(चार) निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए रोग संबंधी, जीवाणु संबंधी, एक्सरे संबंधी (रेडियोलॉजिकल) तथा ऐसी अन्य जांच (परीक्षण):- ....

(क) उस चिकित्सालय या प्रयोगशाला का नाम, जिसमें उक्त परीक्षण किया गया, तथा ....

(ख) क्या वह चिकित्सालय में रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर ली गई थी । यदि हां, तो इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिये ....

(पांच) औषधियां ....

(छः) विशेष औषधियां
(औषधियों की सूची, नगदी पत्रक (कैश मेमो) तथा आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

(सात) सामान्य उपचर्या (जनरल नर्सिंग) ....

(आठ) विशेष उपचर्या (नर्सिंग) अर्थात् रोगी के लिए विशेष रुप से रखी गई नर्स। इस बात का उल्लेख कीजिये कि क्या वह चिकित्सालय में रोगी के प्रभारी अधिकारी की सलाह पर नियोजित थी या शासकीय सेवक अथवा रोगी के निवेदन पर नियोजित थी। पहली स्थिति में, रोगी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र, जो चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो संलग्न किया जाना चाहिए ....
....
....

(नौ) कोई अन्य खर्च अर्थात् बिजली, पंखा, हीटर, वातानुकूलित (एयरकंडीशनिंग) आदि संबंधी खर्च का भी उल्लेख कीजिये कि क्या निर्दिष्ट सुविधाएं उन्हीं सुविधाओं का एक भाग है जो सभी रोगियों के लिए सामान्य रुप से ....
....
....

उपलब्ध है और रोगी के लिये इस संबंध
में कोई विकल्प नहीं था

टीप– यदि उपचार शासकीय सेवक द्वारा अपने निवास स्थान पर कराया गया था तो ऐसे उपचार के ब्यौरे दीजिये, और प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का प्रमाणपत्र संलग्न कीजिये।

[illegible] मांग (दावा) की गई कुल राशि ....

[illegible] सहपत्रों की सूची ....

घोषणा, जिस पर शासकीय सेवक द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है और यह कि जिस व्यक्ति पर चिकित्सा व्यय किया गया है, वह पूर्णतः मुझ पर आश्रित है।

दिनांक 201

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर तथा
कार्यालय का नाम, जिससे वह संलग्न है।

प्ररुप–दो

आवश्यकता प्रमाणपत्र का प्ररूप

(नियम 13 (2) देखिए)

क– ऐसी औषधियों के मामले में, जो मेडीकल स्टोर्स डिपो की मूल्य सूची में शामिल नहीं हैं

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................पिता/पति का नाम श्री ....जो कि ....में नियोजित हैं, तारीख.......................से...............तक अन्तःरोगी/बाह्यरोगी के रूप में..................चिकित्सालय में........................... (रोग का नाम) के लिए मेरे उपचार में रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधियां विहित की गई। ये औषधियां न तो मेडीकल स्टोर्स की मूल्य सूची में शामिल हैं और न ही ये ऐसी निर्मित वस्तुएं हैं जो प्रथमतः भोजन, प्रसाधन सामग्री या रोगाणुनाशी हों । ये औषधियां उपर्युक्त रोगी के उपचार के लिए नितान्त आवश्यक थीं –

औषधियों के नाम

(1)............................	....	....
(2)............................	....	....
(3)............................	....	....
(4)............................	....	....
(5)............................	....	....
(6)............................	....	....

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के हस्ताक्षर तथा पदनाम/
चिकित्सालय में प्रकरण के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

ख– ऐसी औषधियों के मामले में, जो मेडीकल स्टोर्स डिपो की मूल्य सूची में शामिल हैं–

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................पिता/पति का नाम श्री.........................जो कि ....में नियोजित हैं, तारीख.........................से ....तक अन्तःरोगी/बाह्यरोगी के रूप में ....चिकित्सालय में............................... (रोग का नाम) के लिए मेरे उपचार में रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधिया विहित की गई। ये औषधियां मेडीकल स्टोर्स की मूल्य सूची में शामिल हैं और वे स्टॉक में नहीं हैं/....................चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं। (उसमें आधिस्वामिक (प्रोप्राइटरी) या अन्य प्रकार की ऐसी कोई औषधि शामिल नहीं है जो कि उपर्युक्त मूल्य सूची के बाहर की हो और न वे ऐसी निर्मित वस्तुएं हैं जो प्रथमतः भोज्य, प्रसाधन सामग्री या रोगाणुनाशी हों)

औषधियों के नाम (1)	पी.वी.एम.एस. नम्बर (2)	मूल्य (3) रू. पै.
(1)............................	....	....
(2)............................	....	....
(3)............................	....	....
(4)............................	....	....
(5)............................	....	....
(6)............................	....	....

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के हस्ताक्षर और पदनाम/
चिकित्सालय में प्रकरण के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

ग-इन्सुलिन उपचार के मामले में

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................पिता/पति/माता का [illegible] श्री/श्रीमती...............................जो कि ....में नियोजित हैं, मेरे चिकित्सालय में मधुमेह के लिये मेरे [illegible] रहे/रहीं और ....द्वारा विहित इन्सुलिन उस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में चिकित्सालय में उपचार [illegible] उसकी ....से ....तक की अवधि के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई और रोग में अन्य [illegible] उत्पन्न हो जाने के कारण उसे चिकित्सालय में भर्ती करना आवश्यक हो गया था।

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक/
चिकित्सालय में प्रकरण के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी